



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / ६२५
प्रति,

दिनांक : ५/७/११

प्राचार्य,
ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
ग्राम—सांडिया, तहसील—मनासा, जिला—नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्भित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 135, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मनासा, जिला—नीमच, में सत्र 2017–18, में बी.एड.–द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति रो प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 में बी.एड.–द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कर्मियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तों के अधीन कार्यालयिक अनुमोदन की प्रत्याशा में निरांतर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–द्वितीय वर्ष	50

- शर्ते :-** 01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना। सुनिश्चित करें।
 02. महाविद्यालय पहुँच मार्ग सुधारा जाये। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाये।
 03. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ाई जाये।
 04. महाविद्यालय भवन की सीढ़ियों की रेलिंग तत्काल लगाई जाए।

उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता—निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव